गाजियाबाद नगर निगम

(I.S.O. 9001, 14001 & 18001 (प्रमाणित संस्था)

<u>अति–अल्पकालीक निविदा</u>

शासनादेश संख्या-2065/नौ-9-2021-96ज/2020 नगर विकास अनुभाग-9, लखनऊ दिनांक 13.10.2021 के अनुपालन में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा रामलीला ग्राउण्ड, कविनगर, गाजियाबाद में आयोजित होने वाले दीपावली मेले (दिनांक 28.10.2021 से दिनांक 03.11.2021 कुल 7 दिनों तक) के तारतम्य में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी फर्मों से निम्नानुसार कार्यों की दिनांक 24.10.2021 से दिनांक 26.10.2021 तक अति-अल्पकालीक निविदा आमंत्रित की जाती है, विस्तृत विवरण गाजियाबाद नगर निगम की वेबसाईट http://ghazibadnagarnigam.in पर उपलब्ध है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य अवधि	दरें
1	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु पण्डाल	07 दिन	प्रति वर्ग मी.
2.	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु पण्डाल की आंतरिक साज-सज्जा मय फर्नीचर(स्टेज, सोफा, मेज, कार्पेट, कुर्सी)	07 दिन	आईटम दर/एकमुश्त दर
3	सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु प्रकाश, ध्वनि व्यवस्था एवं एल.ई.डी. वॉल का कार्य	07 दिन	आईटम दर/एकमुश्त दर
4	स्टाल्स की स्थापना प्रकाश व्यवस्था सहित।	07 दिन	आईटम दर/एकमुश्त दर

उक्त के सम्बंध में निविदा प्रपत्र प्रभारी नजारत के कार्यालय से निर्धारित मूल्य(रू. 1000+18 प्रतिशत जी.एस.टी.) जमा करते हुए दिनांक 26.10.2021 की मध्यान्हः 12.00 तक क्रय किया जा सकता है। निविदा दिनांक 26.10.2021 की अपरान्हः 03.00 बजे तक प्रभारी नजारत के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जायेंगी तथा उसी दिन अपरान्हः 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।

<u>अन्य नियम एवं शर्तें निम्नवत हैः-</u>

1. उपरोक्त कार्यों हेतु पृथक-पृथक मुहरबन्द निविदायें डालना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक कार्य हेतु पृथक-पृथक धनांक रू. 25000.00 की जमानत धनराशि एफ.डी.आर. के रूप में लेखाधिकारी, गाजियाबाद नगर निगम के नाम से जमा कराते हुए उक्त की हार्ड कॉपी मूल प्रति लिफाफें में रखकर डालनी अनिवार्य होगी, जो कि सफल निविदादाता होने के फलस्वरूप विभाग में जमा की जायेगी तथा संतोषजनक कार्य(निविदा अवधि) के पश्चात फर्म को वापिस कर दी जायेगी।
3. ठेकेदार/निर्माता फर्म/कार्य विशिष्ट फर्म का जी.एस.टी. एवं आयकर में पंजीकरण अनिवार्य है।
4. ठेकेदार द्वारा उल्लिखित दर में शासकीय देयकों/कर(जी.एस.टी., सेस इत्यादि) का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा।
5. सम्बंधित फर्म द्वारा अग्नि व विद्युत से बचाव की समुचित व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी। आग, विद्युत आदि किसी भी दुर्घटना के लिये सम्बंधित फर्म उत्तरदायी होगी।
6. टैन्ट में लगनें वालें पर्दे, कुर्सी, सौफा आदि के कवर साफ सुथरे होने चाहिए तथा स्थल पर लगाई जाने वाली सामग्री मैली, कटी, फटी नही होनी चाहिए।
7. आंधी, तूफान, वर्षा तथा किसी भी कारणवश टैन्ट पंडाल के गिर जाने, फट जाने व अव्यवस्थित होने की दशा में निविदादाता फर्म द्वारा तत्काल सही कराना अनिवार्य कराना होगा।
8. निविदादाता फर्म द्वारा दी गई दरें समस्त करो, उपकरो, भाड़ा, स्थापना शुल्क, सेवा शुल्क, ठेकेदार के लाभांश आदि को सम्मलित करते हुये दी जायेगी।
9. कार्य स्थल पर लगाये जाने वालें टैन्ट पंडाल व पर्दे, कुर्सी, सौफा के कवर आदि की (GEO TAGGING) फोटो कराया जाना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता फर्म को विभाग द्वारा सूचित किये जाने पर कार्य को तत्काल प्रभाव से किया जाना आवश्यक है।

11. फर्म द्वारा नगर निगम के निर्धारित नियमों के विपरीत आचरण करने, गुणवत्ता खराब करने, जानबूझ कर निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण न करने, तथ्यों को छुपा कर विभाग को गुमराह करने, अभद्र व्यवहार करने आदि की दशा में फर्म को नजारत प्रभारी की संस्तुति पर ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद को होगा।
12. कसी भी निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति का अधिकार नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम में निहित होगा।
13. किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में नगर आयुक्त गाजियाबाद नगर निगम का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों के मान्य होगा। वाद की स्थिति में विधिक क्षेत्राधिकार गाजियाबाद न्यायालय का होगा।
14. निविदा से संबधित अग्रिम जानकारी गाजियाबाद नगर निगम की वेबसाईट http://ghazibadnagarnigam.in पर देखी जा सकती है।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम